बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के प्रचार प्रसार हेतु booklet (पुस्तिका) के प्रकाशन हेतु अल्प अवधि कोटेशन सूचना

ज्ञाप संख्या–01/IML–102/2022, श्र०सं०– **पटना, दिनांक–**

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष), बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के प्रचार प्रसार हेतु booklet (पुस्तिका) का मुद्रण कराया जाना है। पुस्तिका के मुद्रण कराने के संबंध में स्थानीय क्रय समिति द्वारा कोटेशन आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई है। उक्त योजना का 2000 प्रतियों में पुस्तिका के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। संबंधित पुस्तिका में 12 (बारह) पृष्ठ होने की संभावना है, जिसके मुद्रण कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों–हाथ श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय के प्राप्ति पटल पर दिनांक–06.03.2025 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक–12.03.2025 के अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। पुस्तिका का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

क्र० सं०	पुस्तिका का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/प्रतियों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के प्रचार प्रसार हेतु	लगभग 12 पृष्ठ /2000 प्रतियों में मुद्रण	Size – A/5 Cover – 4 Pages, 220 GSM Art paper, Multicolor printing with lamination Inner :- 8 Pages 130 GSM Art Paper, Multicolor printing. Binding – Middle Two wire stich.

नोट :–

1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार के पास सुरक्षित होगा।
2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है। इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी श्री विधान चन्द सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के मोबाईल संख्या–9934452188 पर उक्त अवधि में दिनांक–06.03.2025 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक–12.03.2025 के अपराह्न 4:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
3. कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है :–

(क) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख

(ख) जी०एस०टी० पंजीकरण से संबंधित अभिलेख

(ग) Colour Sheet fed offset printing machine एवं computer set प्रेस परिसर में होने का प्रमाण

(घ) कार्यादेश निर्गत होने के 03 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तिका का प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 07 दिनों के भीतर मुद्रण की कार्रवाई सम्पन्न करते हुए पुस्तिका श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

ह०/–
(राजेश कुमार)
उप श्रमायुक्त मुख्यालय

ज्ञाप संख्या–01/IML–102/2022, श्र०सं०– 1160 पटना, दिनांक– 05/03/2025

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कोटेशन प्राप्त करने संबंधी उपर्युक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05-03-2025

उप श्रमायुक्त मुख्यालय

3)